[illegible] टेक्स, 250, चौड़ा रास्ता, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15-12-17	पत्रावली पेश हुई। आज पी.ओ. अन्य न्यायिक/~~प्रशासनिक कार्यों~~ व ~~[illegible]~~ 2010 में व्यस्त है, पत्रावली अग्रिम आदेश दि० 19/12/17 को पेश हो ~~[illegible]~~	
19-12-17	वकुलाद उप.। अवलोकन किया गया। प्रा-पत्र स्वीकार किया जाता है। विज्ञप्ति निविदा पृथक से लिया जाकर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली कैफियत मालशुमार होकर नम्बर के कम हो तथा दफ्तर दाखिल हो। 19/12/17 उपखण्ड अधिकारी निवाई, जिला टोंक	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई जिला टोंक

(हरिताभ कुमार आदित्य आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी निवाई द्वारा अध्यासित)
प्रा0पत्र संख्या :—216/2016
निर्णय दिनांकः—19.12.2017

उनवान

केशरलाल पुत्र गोपीलाल जाति बैरवा निवासी बडोदिया तहसील निवाई हॉल निवासी दिल्ली

—प्रार्थी/आवेदक

बनाम

1. नानगा पुत्र गोपी जाति बैरवा निवासी बडोदिया तहसील निवाई
2. अधिशाषी अभियन्ता जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. कार्यालय निवाई
3. तहसीलदार सा. निवाई

—अनावेदकगण

आवेदन अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम बाबत दुरूस्त किये जाने शीट

उपस्थितः— श्री रामावतार शर्मा वकील प्रार्थी

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः—

यह कि आवेदक की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि ख.नं. 430/16 हॉल ख.नं. 430/77 रकबा 06 बीघा वाके ग्राम बडोदिया तह. निवाई में स्थित है जिस पर प्रार्थी पूर्णतया काबिज मालिक खातेदार काश्तकार चला आ रहा है। वर्णित भूमि प्रार्थी को नियमानुसार आवंटन कमटी द्वारा आवंटित की जाकर उक्त भूमि प्रार्थी को दिनांक 09.08.1980 को सुपुर्दगी प्रदान कर प्रार्थी को सुपुर्दगीनामा शीट प्रदान की गई थी जिसके अनुसार प्रार्थी के हक में खातेदारी इन्द्राज होने के पश्चात् प्रार्थी को दिनांक 17.11.1975 को पासबुक जारी की जाकर सुपुर्दगीनामा शीट के अनुसार पासबुक की पुश्त पर भी शीट की तरमीम स्थिति का नक्शा प्रदान किया गया था जिसके मुताबिक प्रार्थी आज दिन तक मालिक स्वामी काबिज चला आ रहा है। अप्रार्थी नानगा पुत्र गोपी को भी 430/5 हॉल ख.नं. 430/66 रकबा 06 बीघा भू-आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन

उपखण्ड अधिकारी
निवाई, जिला टोंक

किये जाकर 09.8.1980 को सुपुर्दगीनामा प्रदान कर सुपुर्दगीनामा शीट प्रदान की गई थी जिसके अनुसार अप्रार्थी मौके पर काबिज है। प्रार्थी व अप्रार्थी उपरोक्त अपने अपने खातेदारी एवं कब्जे की भूमि पर आवंटन सुपुर्दगीनामा शीट के अनुसार पूर्व पश्चिम की लम्बाई में भूमि पर काबिज मालिक चले आ रहे है किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा लठ्ठा शीट में प्रार्थी व अप्रार्थी की भूमि की तरमीम उत्तर दक्षिण लम्बाई में कर रखी है जो कि गलत है तथा राजस्व कर्मचारियों को सुपुर्दगीनामा शीट के विपरीत जाकर राजस्व शीट में किसी प्रकार का अंकन व तरमीम करने का कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नही था। ऐसी स्थिति में हॉल राजस्व शीट में प्रार्थी के खातेदारी की भूमि ख.नं. 430/77 रकबा 06 बीघा एवं अप्रार्थी के खातेदारी की भूमि 430/66 रकबा 06 बीघा ग्राम बडोदिया की राजस्व शीट में सुपुर्दगीनामा शीट के अनुसार राजस्व शीट में दुरूस्ती की जाकर शीट संशोधित करवाया जाना नितान्त आवश्यक एवं न्यायसंगत है। अतः आवेदन मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि भूमि हॉल राजस्व शीट मे प्रार्थी के खातेदारी की भूमि ख.नं. 430/77 रकबा 06 बीघा एवं अप्रार्थी के खातेदारी की भूमि 430/66 रकबा 06 बीघा ग्राम बडोदिया की राजस्व शीट मे तरमीम की जाकर राजस्व शीट को दुरूस्त व संशोधित करवाया जाने का आदेश प्रदान किया जावे तथा अप्रार्थी सं. 2 को प्रार्थी के उक्त चाह पर स्थित विद्युत कनेक्शन को अविलम्ब विच्छेट हटाने के आदेश फरमावे।

उक्त प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रतिपक्षी सं. 2 की ओर से श्री राजमुरारी कुर्मी एड. ने वकालतनामा व जवाब प्रा.पत्र पेश किया कि विभाग द्वारा वर्तमान भूमि पर विद्युत कनेक्शन जारी है। जिसका विधिवत रूप से अप्रार्थी को दिया गया है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र रिकॉर्ड अनुसार उचित आदेश फरमावे। शेष प्रतिपक्षीगण बाद तामिल अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी।

प्रार्थी के वकील की एकतरफा बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने प्रस्तुत आवेदन का दोहरान करते हुये निवेदन किया कि हॉल राजस्व शीट में प्रार्थी के खातेदारी की भूमि ख.नं. 430/77 रकबा 06 बीघा एवं अप्रार्थी के खातेदारी की भूमि 430/66 रकबा 06 बीघा ग्राम बडोदिया की राजस्व शीट में सुपुर्दगीनामा शीट के अनुसार राजस्व शीट में दुरूस्ती की जाकर शीट संशोधित करवायी जावे। वकील प्रार्थी की ओर से असल दस्तावेजात पेश किये गये।

बहस का मनन व दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अवलोकन मनन करने के पश्चात् न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि राजस्व कर्मचारियों ने बिना सक्षम आदेश के प्रार्थी व अप्रार्थी के खातेदारी भूमि की तरमीम की है। जो

उपखण्ड अधिकारी
निवाई, जिला टोंक

कि वैधानिक नहीं है। अतः तरमीम दुरूस्त किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन से प्रार्थी का प्रा.पत्र स्वीकार किया जाता है। तथा तहसीलदार निवाई को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी के खातेदारी की भूमि ख. नं. 430/77 रकबा 06 बीघा एवं अप्रार्थी के खातेदारी की भूमि 430/66 रकबा 06 बीघा ग्राम बडोदिया की राजस्व शीट में सुपुर्दगीनामा शीट के अनुसार राजस्व शीट में दुरूस्ती की जाकर शीट संशोधित करें।

यह निर्णय आज दिनांक 19.12.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

19/12/17
हरिताभ कुमार आदित्य
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी निवाई